रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012023-243295 CG-DL-E-31012023-243295

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437] No. 437] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 2023/माघ 10, 1944 NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 2023/ MAGHA 10, 1944

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली. 25 जनवरी. 2023

का.आ. 451(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, श्री देश दीपक वर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस, को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर का अध्यक्ष नामित करती है।

[फा. सं. जेड-28016/65/2017-पीएमएसएसवाई-IV]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2023

**S.O. 451(E).**—In exercise of the power conferred by section 7 (1) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Sh. Desh Deepak Verma, retired IAS, as President of All India Institute of Medical Sciences, Gorakhpur.

[F. No. Z-28016/65/2017-PMSSY-IV] ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.

651 GI/2023 (1)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2023

का.आ. 452(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री देश दीपक वर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस, को डॉ अम्बरीश मितल, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर के संस्थान निकाय का सदस्य नामित करती है, और उस प्रयोजन से दिनांक 7 फ़रवरी, 2020 के.आ. 615 (अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या Z-28016 /170/2018-पीएमएसएसवाई-IV दिनांक 30 जनवरी, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में, क्रमसंख्या 10 और उस से संबंधित प्रविष्टि में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:

"10. श्री देश दीपक वर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस"

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड-28016/65/2017-पीएमएसएसवाई-IV]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th January, 2023

**S.O. 452(E).**—In exercise of powers conferred by Clause (e) of Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Sh. Desh Deepak Verma, retired IAS, to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, Gorakhpur in place of Dr. Ambrish Mithal, Endocrinologist, Medanta and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India in Ministry of Health & Family Welfare, File Number Z-28016/170/2018-PMSSY-IV dated the 30<sup>th</sup> January, 2020 published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (ii) vide SO 615 (E) dated the 7<sup>th</sup> February, 2020:

In the said notification, for serial number 10 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-

"10. Sh. Desh Deepak Verma, retired IAS"

The terms of office of the member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/65/2017-PMSSY-IV] ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.